JALAUN POLICE

OPERATION CONVICTION

नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म के अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 1,00,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्त ठाकुरदास पुत्र रामसेवक निवासी ग्राम भेंड़ कोतवाली कोंच जनपद जालौन नाबालिग लड़की के साथ गलत कृत्य कारित किया गया था। जिसके संबन्ध में वादिया की तहरीर के आधार पर दिनांक 23.02.2023 को कोतवाली कोंच पर मु0अ0सं0 83/23 (वाद संख्या 38/23) धारा 376(2)N/376(2)F/506 भादवि व धारा 5L/6 व 5N/6 पॉक्सो एक्ट बनाम ठाकुरदास के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था।

विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित करते हुए वैज्ञानिक तरीके से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 24.03.2023 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 11.02.2026 को मा0 न्यायालय एडीजे पॉक्सो कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त ठाकुरदास उपरोक्त को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 1,00,000/- रूपये(एक लाख रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

ADGC क्रिमिनल रणकेन्द्र भदौरिया

कोर्ट पैरोकार राहुल